न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 17/17 निर्णय दिनांकः— 16.10.2018

1. मु. पूरीदेवी पत्नी उदाराम जाति कुम्हार निवासी अगनेउ हाल आबाद चक 1 बीजेएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मन्दर सिंह पुत्र सन्त सिंह जाति जटसिख निवासी बांगड़सर हाल चक 1 बीजेएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 23—04—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

2. अपील संख्याः 18/17

1. मु. पूरीदेवी पत्नी उदाराम जाति कुम्हार निवासी अगनेउ हाल आबाद चक 1 बीजेएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मन्दर सिंह पुत्र सन्त सिंह जाति जटसिख निवासी बांगड़सर हाल चक 1 बीजेएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 05—07—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 23—04—2008 व 05—07—2008 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से अपीलांट के चिपती भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्माल पेच आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोनों अपीलों में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/58 के किला नम्बर 18 ता 23 में 5 बीघा 4 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 133/51 के किला नम्बर 1 ता 3, 20 ता 25 में 9 बीघा कुल 14 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अपीलांट की उपरोक्त भूमि के चिपते ही चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/58 के किला नम्बर 24 में 1 बीघा एवं किला नम्बर 25 में 13 बिस्वा कुल 1 बीघा 13 बिस्वा व चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/53 में किला नम्बर 4 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 133/60 में किला नम्बर 1 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 2, 3 में 2 बीघा कुल 3 बीघा 12 बिस्वा राजकीय भूमि है। जिसके आवंटन की प्रथम वरियत अपीलांट की बनती है। स्मालपेच आवंटन नियमों में जिसकी प्रथम वरीयता बनती हो उसे ही आवंटन किया जाना चाहिए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने आगे बताया कि पटवारी रिपोर्ट में अपीलांट के नाम का अंकन भी है तथा रिपोर्ट में वादगत् भूमि को स्मालपेच में आवंटन करवाने की पात्र व्यक्तियों की सूचना में अपीलांट/प्रार्थी का नाम भी अंकित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नोटिस जारी करने की तमाम कार्यवाही गलत व अवैद्य तरीके से की गई है। तथाकथित नोटिस की पुश्त पर बताया गया है कि सायल मौके पर हाजिर नहीं मिला एक नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया। बाद तामील रिपोर्ट सेवा में पेश है।

उक्त तामील पर अंकित दिनांक पर कांटछांट करना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत है। तहसील पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी अपीलांट्स की भूमि होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए सीधे ही एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को स्मालपेच में आवंटन कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2006 पेज 262 व आरआरडी 2001 पेज 39 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/58 के किला नम्बर 24 में 1 बीघा एवं किला नम्बर 25 में 13 बिस्वा कुल 1 बीघा 13 बिस्वा व चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/53 में किला नम्बर 4 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 133/60 में किला नम्बर 1 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 2, 3 में 2 बीघा कुल 3 बीघा 12 बिस्वा राजकीय भूमि पेच में स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों को नोटिस जारी किया गया। आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य काश्तकार को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट व अन्य काश्तकारों को विधिवत नोटिस तामील उपरान्त प्राप्त हुए। लेकिन बाद नोटिस प्राप्ति अपीलांट अरजनराम उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात् आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रथम वरीयता के आधार पर आवंटित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं आये। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—04—2008 व 05—07—2008 को पारित किये गये है। जिसके विरूद्व अपीलें 20—03—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/58 के किला नम्बर 24 में 1 बीघा एवं किला नम्बर 25 में 13 बिस्वा कुल 1 बीघा 13 बिस्वा व चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/53 में किला नम्बर 4 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 133/60 में किला नम्बर 1 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 2, 3 में 2 बीघा कुल 3 बीघा 12 बिस्वा राजकीय भूमि पेच के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों को नोटिस करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट के मुरब्बें में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट पर संबंधित तामील कुनिन्दा द्वारा अभिलिखित किया गया है "**कि सायल मौके पर हाजिर नहीं मिला एक नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया। बाद तामील रिपोर्ट सेवा में पेश है।** अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भंली भांति जॉच नहीं की गई कि उक्त मुरब्बें में ही शेष भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है। ऐसी स्थिति में तामील कुनिन्दा द्वारा यह अंकित किया जाना कि अपीलांट हाजिर नहीं मिला मानने योग्य कथन नहीं है, तामील का अपने आप में संदेहास्पद होना प्रकट करता है।

(4) इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2001 पेज 262 में यह अभिनिर्धारित है किः—

Service of summons- No personal service was made on defendant-Process server made report that he had visited the village and defendant had refused to accept the notice and he (process server) pasted the notice, on the wall-Ex-party proceedings and ex-parte decree-Application for setting aside ex-parte decree

rejected by trial court- Appeal against-Held, trial court should have got the process server produced in the court for examination on oath when defendant was denying the fact that process server had ever visited the village and had made any such report and even had pasted the notice- It is bounden duty of court to see that the party is served in accordance with law before to proceed ex-parte just on receipt of report of process server-Court should see that every provision of O - 5 should be completed and accomplished in letter and spirit before ex-parte proceedings are ordered- In this case, there is serious doubt about service having been effected on defendant, therefore, ex-parte proceedings, set aside. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में भी तामील की प्रक्रिया को विधि अनुसार निष्पादित नहीं किया गया है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रूटि है कारित करते हुए आराजी जैर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

(6) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 23—04—2008 व 05—07—2008 निरस्त किये जाते है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर